राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan

(मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, लोक शिक्षण संचालनालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल–462023)
(M.P. Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Directorate of Public Instruction Campus, Gautam Nagar, Bhopal-462023)
दूरभाष : 0755–2581067, ईमेल : <trg.rmsamp@gmail.com>

क्रमांक : आरएमएसए/...../रेमि.कक्षा संचा/2018/1718 . भोपाल, दिनांक 18/10/2018

प्रति

1. जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना समन्वयक (आरएमएसए) समस्त जिले, (म.प्र.)
2. प्राचार्य, समस्त शास. हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल, (म.प्र.)

विषयः– शासकीय हाई एवं हायर सेकेन्डरी विद्यालयों में निदानात्मक कक्षाओं (Remedial teaching) **का संचालन**

संदर्भ –इस कार्यालय का पत्र क. 1491–1492 दिनांक 28.9.2018

——00——

रेमिडियल टीचिंग अर्थात निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों के कठिनाई के क्षेत्रों का निदान करना, उनकी कठिनाईयों/ समस्याओं को दूर करने में सहायता के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि विद्यार्थी अगली कक्षा में जाने के लिए तैयार हो सके। **इस हेतु आपसे निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है–**

- त्रैमासिक परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में औसतन 50 प्रतिशत विद्यार्थी डी एवं ई ग्रेड में है। कक्षा 11 एवं 12 में भी लगभग 30 से 35 प्रतिशत विद्यार्थी डी एवं ई ग्रेड में है। अतः सभी कक्षाओं के लिए रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाये।
- कक्षा 9 वीं में तीसरा एवं चौथा पीरीयड (80 मिनट) तथा कक्षा 10वीं में दूसरा एवं तीसरा पीरीयड (80 मिनट) निदानात्मक/रेमिडियल कक्षाओं के लिये होगा। कक्षा 11 एवं 12 के लिए शैक्षणिक केलेण्डर अनुसार निदानात्मक/रेमिडियल कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
- **ग्रेड आधार पर सेक्शन बनाना** –त्रैमासिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ग्रेड के आधार पर सेक्शन पुनः बनाये जा सकते है–
  - ऐसी शालाएं जहॉ एक से अधिक सेक्शन हैं वहॉ डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन बनाया जाये ताकि विद्यार्थयों के स्तर के अनुरूप पठनपाठन हो सके।
  - ऐसी शालाएं जहॉ एक ही सेक्शन हैं वहॉ डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक द्वारा निर्णय लिया जायेगा कि उसे किस तरह पढाना है।
- त्रैमासिक परीक्षाओं में इस वर्ष ई ग्रेड को भी दो भागों ई 1 एवं ई 2 में बॉटा गया है। ताकि विद्यार्थियों के वास्तविक स्तर की जानकारी शिक्षक को हो सके तथा वह विद्यार्थियों को इस तरह पढाये कि विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके।
- **प्रशिक्षण–**
  - निदानात्मक कक्षाओं हेतु कक्षा 9 एवं 10 के लिए पॉच विषयों के मॉड्यूल जिलों को भेजे जा चुके है। मॉड्यूल विमर्श पोर्टल पर भी उपलब्ध है। राज्य स्तर से रिसोर्सपर्सन्स को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है।
  - निदानात्मक कक्षाओं के लिए प्रत्येक स्कूल से 1 शिक्षक को विषयमान से प्रशिक्षण दिया जाना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। अनुपस्थित शिक्षकों का प्रशिक्षण दिवस का वेतन देय नहीं

होगा। जिला स्तर पर प्रशिक्षण की कार्यवाही दिनांक 17.10.2018 तक आवश्यक रूप से संपन्न करें। एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रू. 175 रू. का व्यय प्रति शिक्षक किया जा सकेगा।

- **ऐसी शालाएं जहॉ विषयमान से शिक्षक नहीं है वहॉ**
  - एक परिसर एक शाला वाले स्कूलों की प्राथमिक /माध्यमिक शालाओं के स्नातक /स्नातकोत्तर उपाधि धारी शिक्षकों का उपयोग हाई/ हायरसेकेण्डरी में विषय अध्यापन हेतु अनिवार्यतः किया जाये।
  - ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाये जहाँ स्कूलों की आपस में साझेदारी हो सकती है। उदाहरण के लिये यदि एक स्कूल में गणित के शिक्षक उपलब्ध है, किन्तु अंग्रेजी के नही है, जबकि निकटस्थ किसी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध है किन्तु गणित के नही, ऐसी स्थिति में दोनों स्कूलों की विषय शिक्षकों की सेवायें साझा कर ली जायें। विषय शिक्षण की इस साझेदारी व्यवस्था कराने को प्राथमिकता दी जाये।
  - जहॉ साझेदारी न हो सके वहां भी शिक्षक व्यवस्था अन्य विद्यालयों से विषयमान से पूर्ण की जाये।
  - उपरोक्त व्यवस्था में शिक्षकों को सप्ताह में 03 दिवस अपने विद्यालय में तथा 03 दिवस निकट के विषय शिक्षक विहीन विद्यालय में सेवायें देनी होगी। संबंधित दोनों विद्यालय (शिक्षक की मूल शाला तथा आवंटित शाला दोनों) के लिए इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर उचित प्रकार से समय–चक्र निर्धारित करेगें तथा संबंधित विषय के शिक्षक अपनी मूल शाला एवं आवंटित शाला दोनों स्थानों पर अपने विषय का पठन पाठन पूर्ण करायेंगें। अर्थात मूल शाला भी प्रभावित न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किये जाएंगें। इन शिक्षकों की उपस्थिति दोनों स्कूलों से ली जायेगी तथा निर्देश का पालन न करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।
  - इस प्रकार की गई व्यवस्था में प्रयुक्त शिक्षक को नियमानुसार माह में न्यूनतम 10 दिवस की अन्य शाला में उपस्थिति के लिए आवागमन व्यय **'रेमिडयल टीचिंग मद'** से रू. 1500 प्रतिमाह दिया जायेगा।
- **पठनपाठन**
  - इन रेमिडियल कक्षाओं का संचालन 1 अक्टूबर से **31 जनवरी 2019** तक किया जाएगा।
  - कक्षा 9 की रेमेडियल कक्षाओं में ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए पठनपाठन की प्रकिया थोडी भिन्न होगी। कक्षा 9 में हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी में ई ग्रेड वाले विद्यार्थियों को 24 नवंबर तक ब्रिज कोर्स का ही पठनपाठन कराया जायेगा। ब्रिज कोर्स में से वह अवधारणाएं जिसमें बच्चों की समझ विकसित नहीं हुई है तथा जो कक्षा 9 के लिए भी आवश्यक हैं, उन पर ध्यान दिया जायेगा। इस हेतु शिक्षक प्रत्येक सप्ताह अभ्यास हेतु वर्कशीट अवधारणा वार बनाकर बच्चों को देंगें। मूल उद्देश्य यह है कि इन अवधारणाओं पर बच्चों को अधिकतम अभ्यास का अवसर प्राप्त हो सके।
  - 26 नवंबर से रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल पढाया जायेगा तथा इसके साथ वर्कशीट से भी अभ्यास कराया जायेगा। विषयवार अवधारणा वार वर्कशीट विमर्श पोर्टल पर शीघ्र ही अपलोड की जायेंगी।
  - सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय के लिए 15 अक्टूबर से ही रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल से ही पढाया जायेगा।
  - ऐसी शालाएं जहॉ डी एवं ई ग्रेड के अलग सेक्शन निर्मित है वहॉ सभी पीरीयड में रेमेडियल टीचिंग के मॉड्यूल से ही पढाया जायेगा। अर्थात विषयमान से लगाए जा रहे पीरीयड में भी तथा रेमेडियल टीचिंग के 2 पीरीयड में भी। ऐसे सेक्शन के लिए प्रत्येक दिवस किन्ही 2 विषयों के लिए 80–80 मिनट के पीरीयड एवं शेष 4 विषयों के 40–40 मिनट के पीरीयड होंगें । 80 मिनट वाले पीरीयड के विषय प्रतिदिन परिवर्तित रहेंगें। अर्थात यदि प्रथम दिवस हिन्दी एवं अंग्रेजी के 80 मिनट हैं तो अगले दिन विज्ञान एवं गणित के 80–80 मिनट के पीरीयड होंगें। इस आधार पर समयसारणी को तैयार करने का दायित्व प्राचार्य का होगा।

- पठनपाठन हेतु राज्य स्तर से दिए गए मॉड्यूल का उपयोग किया जायेगा। मॉड्यूल की फोटोकॉपी अथवा प्रिंटिंग का व्यय रेमेडियल टीचिंग मद से किया जायेगा।
- रेमेडियल टीचिंग हेतु एक पंजी प्रत्येक विषय के शिक्षक द्वारा संधारित की जायेगी। जिसमें विद्यार्थी की उपस्थिति, उसके टेस्ट के नंबर, प्रत्येक चेप्टर पर उसकी समझ, कमी का कारण इत्यादि का विवरण लिखा जायेगा।
- रेमिडियल कक्षाएँ उन्हीं शिक्षकों के द्वारा सामान्यतः ली जानी चाहिए जिन शिक्षकों द्वारा कक्षा में अध्यापन कराया जाता है क्योंकि उन्हें यह पता होगा कि किस विद्यार्थी का स्तर क्या है तथा किन टॉपिक्स में उन्हें समस्या है।

- **अभ्यास**
  - प्रत्येक विषय हेतु रेमिडियल की प्रत्येक विद्यार्थी की एक कॉपी बनवाई जायेगी। जो शिक्षक अध्यापन करायेंगें वे प्रतिदिन की दिनांक एवं टॉपिक कॉपी पर लिखवायेंगें।
  - विद्यार्थियों से बार बार अभ्यास कराकर उन्हें उस दक्षता में दक्ष बनाया जायेगा। निदानात्मक कक्षाओं का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों से सतत अभ्यास करवाकर उन्हें दक्ष बनाना है। अतः सिर्फ मॉड्यूल के पढाने से समस्या का हल नहीं होगा अपितु पढाई के साथ अभ्यास कराने से विद्यार्थियों के स्तर का उन्नयन होगा।
  - ग्राफ / चित्र / मॉडल, प्रयोग करके दिखाना / करवाना,वर्कशीट से अभ्यास कराया जायेगा।
  - प्रतिदिन उपचारात्मक शिक्षण से सम्बंधित विषय पर अलग से कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देना और जांच कर सुधार कार्य करवाया जायेगा।
- **मूल्यांकन–**
  - विद्यार्थियों का प्रति सप्ताह टेस्ट लिया जायेगा तथा उसका रिकार्ड रखा जायेगा।
  - टेस्ट के आधार पर विद्यार्थी क्या सीख नहीं पाया इसका आकलन कर उन विद्यार्थियों को पुनः उसी टॉपिक को पढाया जायेगा।
  - निरीक्षणकर्ता विद्यार्थियों की कॉपी देखकर रेमेडियल टीचिंग का अवलोकन करेंगें।
  - अर्द्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम शैक्षणिक केलेण्डर के अनुसार ही होगा।
- **निरीक्षण / मॉनिटरिंग –**
  - समस्त विद्यार्थियों की काउंसलिंग की जायेगी। प्राचार्य प्रत्येक सप्ताहिक बैठक में शिक्षकवार, विषयवार, विद्यार्थीवार समीक्षा करेंगें। जिसमें विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाईयों पर विशेष चर्चा करेंगें।
  - रेमेडियल टीचिंग के प्रभावी कियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रेमेडियल कक्षाओं के संचालन की जवाबदेही तय करें एवं इस ओर ध्यान दें तथा समुचित रूप से उद्देश्य के अनुरूप कार्यवाही करें। सभी विद्यार्थियों को न्यूनतम दक्षता हासिल करवाना सुनिश्चित करेंगें।
  - **जिला स्तरीय टीम द्वारा आकस्मिक मॉनिटरिंग –** जिला स्तर से अकादमिक दल के अतिरिक्त नियमित रेमिडियल कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु टीम गठित की जाएगी जो आकस्मिक रूप से शालाओं का निरीक्षण कर यह सत्यापित करेंगी कि प्रत्येक शाला में रेमिडियल कक्षा चल रही है या नहीं।
  - इस सम्पूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक तथा ज्ञान पुंज के सदस्यों का होगा।

(जयश्री कियावत)
राज्य परियोजना संचालक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, म.प्र.

पृष्ठा. क्र : आरएमएसए/172/रेमि.कक्षा संचा/2017/1719 भोपाल, दिनांक 18/10/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. कलेक्टर, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, समस्त जिले, मध्यप्रदेश।
8. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

राज्य परियोजना संचालक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, म.प्र.